THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Action against Director (Personnel) of Cement Corporation of India

1261. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the present Director (Personnel) of Cement Corporation of India Limited was issued a show cause notice for initiation of Major penalty proceedings in October, 1989 on the recommendations of the Central Vigilance Commission;

(b) whether it is a fact that neither he has been placed under suspension nor any inquiry officer has been appointed to conduct departmental inquiry till date as reported in the Business Standard, Calcutta of the 22nd January 1990, Patriot, New Delhi on the 15th February, 1990 and Sunday Mail of the 11th March, 1990; and

(c) if so what are the reasons for which no action has been initiated against him so far?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) A charge sheet was issued to Dr. K. D. Gupta, Director (Personnel) of Cement Corporation of India Ltd. in October, 1989 in consultation with the Central Vigilance Commission.

(b) and (c) As per procedure in such cases, the reply of Dr. K. D. Gupta to the charge sheet has been received and the same is under examination. Decision on the proceedings and appointment of an Inquiry Officer will be taken soon after completion of the above process.

Refund of amount to LPG distributors

1262. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Indian Oil Corporation Limited have deducted the commission of LPG distributors in Delhi on cylinder caps and cylinder security nuts for which the distributors have already deposited the security amount and hold equipment receipt vouchers;

(b) if so, whether Indian Oil Corporation Limited propose to refund the amount so deducted and pay interest on the same; and

(c) whether any directive has been issued by his Ministry for immediate payment of money so withheld along with interest?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) and (b) The commission of dealers was adjusted by Indian Oil Corporation against shortage of security nuts and caps only in cases where they were not in a position to give any documentary evidence of having returned the same. Necessary credit for the same is given to those distributors who are able to establish having returned the security nuts and caps. However, no interest is paid, as per the policy of the Corporation.

(c) No, Sir.

कोयला खानों में कोयले की चोरी

1263. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न कोयला खानों से भारी मात्रा में कोयले की चोरी किये जाने से संबंधित मामले की सूचना सरकार को दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले की सूचना सरकार को दी गई और इस प्रकार की

चोरी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) पिछले तीन महीनों अर्थात फरवरी 1990 से अप्रैल 1990 के दौरान कोयला कम्पनियों की विभिन्न कोयला खानों से बड़ी मात्रा में कोयला की उठाईगिरी के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

हालांकि इस अवधि के दौरान कोयले की चोरी उठाईगिरी के छोटे मोटे मामलों की सूचना प्राप्त हुई है । ऐसे कोयले के मामलों का कम्पनीवार विवरण नीचे दिया गया है । इन मामलों में की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है ।

ई.को.लि. : पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के राज्य प्राधिकारियों के पास पिछले तीन महीनों के दौरान उठाईगिरी के 77 मामले कानूनी कार्रवाई के लिये दर्ज किये गये हैं और ये मामले अभियोजन के विभिन्न चरणों में हैं । 77 मामलों में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इस संबंध में 221.5 मि.टन कोयले की वसूली की गई है ।

ऐसे मामलों में जहां दोषी व्यक्तियों को नहीं पकड़ा जा सका उनमें 1520.5 मि.टन कोयले की वसूली की गई और इस कोयले को विभिन्न कोलियरियों को सुपुर्द कर दिया गया ।

भा.को.को.लि. : भा.को.को.लि. के मामले में यह सूचित किया गया है कि कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों को घरेलू उपभोग के लिये दिये जाने वाले कोयले की उठाईगिरी की जा रही है ।

हाल ही में एक मामले में कोयले का लदा हुआ एक ट्रक जोकि वरोरा बाशरी के लिये था उसे एक अनाधिकृत स्थान पर कोयले को उतारते हुये पाया गया । इसके अलावा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.ओ.सु.ब.) के कार्मिकों द्वारा मारे गये छापों के दौरान 7 मामलों में पिछले तीन महीनों की अवधि के के दौरान 129 टन कोयले की वसूली की गई । इन सभी मामलों में के.ओ.सु.ब. द्वारा पुलिस में मामले दायर कर दिये गये हैं ।

से.को.लि. : फरवरी और अप्रैल 1990 की अवधि के बीच उठाईगिरी के 8 मामले पकड़े गये । इन मामलों में 174 मि.टन कोयले की वसूली की गई । इन मामलों को पुलिस थानों में दर्ज करा दिया गया है ।

सा.ई.को.लि. : फरवरी से अप्रैल 1990 की अवधि के बीच सा.ई.को.लि. के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उठाईगिरी के 15 मामले घटित हुये । सभी मामलों की स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है । और जिन उठाईगिरी के मामलों में साईकोलि में कार्यरत कर्मचारियों को सहभागी पाया गया है उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गई है ।

ना.को.लि. : फरवरी से अप्रैल 1990 की अवधि के दौरान ना.को.लि. में कोयले की उठाईगिरी का कोई मामल सामने नहीं आया है ।

वे.को.लि. : इस संबंध में पिछले तीन महीनों की अवधि के दौरान उठाईगिरी के 5 मामले पकड़े गये हैं । 2 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और तीन मामलों में कोयले की वसूली की गई है ।

व्यक्तिगत मामलों में पुलिस को सूचित किये जाने के अलावा कोयला कम्पनियों के सुरक्षा कर्मचारी कोयला खानों से कोयले का संचलन होने के दौरान भी निगरानी रखते हैं ।